प्रस्तावना

रक्षा सम्पदा प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या :

- रक्षा भूमि की आवश्यकता का प्रस्तुतीकरण मापदंडों के अनुसार सटीक एवं विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित था एवं भूमि का उपयोग विवेकपूर्ण और प्रभावी था;
- भूमि की तत्काल आवश्यकता न होने पर इसे अस्थायी तौर पर किसी अन्य रचनात्मक उपयोग जिसमें इसे पट्टे पर देना शामिल था, में लाया गया था और पट्टे पर दी गयी सम्पत्तियों का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रबन्धन किया गया था;
- ओल्ड ग्रान्ट बंगलों का प्रबन्धन मौजूदा आदेशों के अनुसार किया गया था;
- भूमि की मांग करने/अधिग्रहण करने/को किराए पर लेने का प्रबन्धन विवेकपूर्ण तरीके से किया गया था तथा वर्तमान प्रावधानों के दायरे में था;
- इतनी विस्तृत रूप से फैली हुई रक्षा भूमि के प्रबन्धन के लिए डी.जी.डी.ई. तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के पास उपलब्ध संसाधन पर्याप्त थे एवं इनका प्रबन्धन कुशलतापूर्वक किया गया था तथा निगरानी तंत्र रक्षा भूमि के सुचारू एवं प्रभावी प्रबन्धन में उच्चतर प्रबन्धन को सहायता प्रदान करता था; तथा
- अतिक्रमित भूमि को खाली कराने एवं अतिक्रमण को रोकने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गये थे।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य कार्यप्रणाली में सुधार करना है तथा इसमें न केवल प्रणालीगत विफलता के बारे में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं अपितु उपचारी कार्यवाही जिसके कार्यान्वयन से संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, की संस्तुति भी शामिल है।

इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।